

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.08.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विवेक सिंह पुत्र रामआधार सिंह नि० बल्लीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-268/21, 02. हौसिला यादव पुत्र माधव नि० लोनियन पुरवा मौजा सेमरा सेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-269/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ब्रजेश कुमार सोनकर पुत्र रामधनी सोनकर नि० नरसिंहपुर थाना परशुरामपुर जिला बस्ती के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद कर मु०अ०सं०-245/21, धारा 60/72 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 29.08.2021**

**दहेज हत्या की 02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार:—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान दहेज हत्या की 02 आरोपी अभियुक्ता—01.फूलमती, 02. कलावती को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्ताओं ने वादी अनिल कुमार शुक्ला की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्ता—**

01. फूलमती पत्नी मंगल पाण्डेय नि० लखनूपुर मौजा इटैला बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. कलावती पत्नी शीतला प्रसाद पाण्डेय नि० लखनूपुर मौजा इटैला बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—226/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी०पी०एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ०नि० जयप्रकाश यादव मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 29.08.2021**

**ऑपरेशन गैंगेस्टर' के अन्तर्गत हत्या व सामुहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त 02 गैंगेस्टर आरोपी गिरफ्तार:—**

15 अगस्त 2021 से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने शातिर गिरोहबंध अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर गैंगेस्टर की कार्यवाही करने तथा उनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिया था। जिसके अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 33 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गिरोहबंध अधिनियम की कार्यवाही की गई है जिसमें आज थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा 02 गिरोहबंध अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मु0अ0सं0-297/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त घनश्याम व मु0अ0सं0- 298/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बाबू उर्फ रामप्रवेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उपरोक्त अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिये हत्या एवं गैंगरेप जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त है। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण:—**

01. घनश्याम पुत्र रामकुमार नि0 कोरियनपुरवा मौजा राजगढ अमीनपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. बाबू उर्फ रामप्रवेश पुत्र बादशाह निवासी ग्राम दासपुरवा मौजा गौरिया थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-297/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-298/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. उ0नि0 वसी अहमद मय टीम।
02. उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय टीम।

